

प्ररूप घ-1
प्रशिक्षण प्रमाणपत्र का मानक प्रारूप
(नियम 10(1) देखें)

प्रति,

अनुज्ञप्ति अधिकारी

.....
.....

प्रशिक्षण प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि उस व्यक्ति की विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं ने आयुध नियम, यह प्रमाणित किया जाता है कि उस व्यक्ति का विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं ने आयुध नियम 2016 के नियम 10(1) के अधीन यथानियत प्रशिक्षण को पूरा किया है:-

1	व्यक्ति का नाम	
2	पिता का नाम/पति-पत्नी का नाम	
3	निवास का पता	
4	आयु और जन्म की तारीख	
5	लिए जाने वाला प्रशिक्षण अवधिसे तक
6	प्रदान किए गए उन प्रशिक्षण	
7	प्रदान किए गए उन प्रशिक्षण के लिए अग्निआयुधों के ब्यौरे (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	1 हैंडगन 2 राइफल 3 शाट गन 4 वायु आयुध
8	प्रशिक्षण का प्रयोजन (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	1 आयुध अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन 2 आयुध व्यीहारी के साथ नियोजन 3 विनिर्माता के साथ नियोजन 4 अन्य
आयुध पाठ्यक्रम जिसमें निम्नलिखित मापदण्ड हैं:-		
बुनियादी आयुध और गोला बारूद सुरक्षात्मक चलन जिसके अन्तर्गत सुरक्षा, रखरखाव और प्रक्रियाओं का करना भी सम्मिलित है:-		
	गोलाबारी तकनीके और प्रक्रियाएँ	
	आयुध और गोला बारूद की रखवाली	
	आयुधों और गोलाबारूद का सुरक्षित भंडारण और परिवहन	

दृष्टि बाधित व्यक्ति को आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम, 2016 उनसे संबंधित महत्वपूर्ण उपबंधों का युक्तियुक्त कार्य साधक ज्ञान प्रदान किया गया था और आयुध स्वामी या प्रयोग कर्ता बलाकों के संबंध में विशिष्ट तौर पर उत्तर दायित्व समझाया गया था।

मोहर

स्थान

प्रमाणित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर